Facilities for Travelling to and from Ratnagiri by sea

927. SHRI MOHAN SWARUP :
SHRI LAKHAN LAL KAPOOR :
SHRI NATH PAI :

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide additional facilities to the several lakhs of people travelling to and from Ratnagiri by sea in Maharashtra State ;

(b) whether it is a fact that this traffic has the highest rate of passenger traffic in the world ; and

(c) in view of the development of these facilities whether Government propose to locate a free trade zone area in this part ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH) : (a) The Maharashtra Government have a project for the development of Ratnagiri port. With the completion of this project, facilities for passenger traffic to and from Ratnagiri are likely to improve.

(b) Ratnagiri port is served by Konkan coastal shipping service and there are three other ports served by that service itself where the passenger traffic during 1968-69 is indicated below :

Name of port	Number of passengers
(1) Panaji	1,27,164
(2) Malvan	51,248
(3) Dabhal and	48,924
(4) Ratnagiri	45,378

(c) No, Sir.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

928. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री 25 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में संघराज्य क्षेत्रों को सरकारों से जानकारी मिलनी थी और जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी क्या वह सूचना इस बीच प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इतनी अधिक देरी के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 30-6-68 तक कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें संघ राज्य-क्षेत्रों के किसी कर्मचारी को गृह मंत्रालय में कार्यालय ज्ञापन सं० 9/45/60-सिब्बंदी (घ) दिनांक 20 अप्रैल, 1961 से लाभ हुआ हो ।

Communal Riots

929. SHRI GANESH GHOSH :
SHRI BADRUDDUJA :
SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI K. HALDER :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) number of communal riots that took place in each state during the last three years ;

(b) number of lives lost due to communal riots in each state during the last three years ;

(c) value of properties destroyed in each State during the last three years as a result of these riots ;

(d) whether Government consider it desirable to institute a detailed public probe in these riots ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (c). A statement, based on information received from the state governments/Union territory administrations, is laid on the Table of the House. [*Placed in library. See* No. LT-2050/69]

(d) and (e). Inquiries are already being held into certain disturbances of 1967, by

the Commission of Inquiry into Communal Disturbances and into the recent Indore and Gujarat disturbances by the Commissions appointed by the respective state governments.

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें

930. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् विभिन्न प्रकार की पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में कितनी पुस्तकें हिन्दी में तैयार की गई और इस परिषद् द्वारा इन पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित कराने का उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् स्कूल स्तर पर की मानक पाठ्यपुस्तकें तथा दूसरी सामग्री तैयार करता है । वे पाठ्यपुस्तकें राज्य सरकारों तथा क्षेत्र शासित संघों को अंगीकरण और अनुकूलन के लिये प्रस्तावित की जाती हैं। 1968-69 के दौरान परिषद् द्वारा हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या 30 थी । उनके शीर्षकों को दिखाने वाली सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [**ग्रन्थालय में रख दी गई** । देखिये संख्या LT—2051/69] । ये पाठ्यपुस्तकें केन्द्रीय विद्यालय संगठन और दिल्ली प्रशासन द्वारा अपनाई गई हैं. कुछ पुस्तकें पाठ्य सामग्री निर्देश पुस्तकों आदि के प्रयोग के लिये राज्य सरकारों तथा दूसरे संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भी स्वीकार की गई है ।

आरक्षित पदों का अनारक्षित पदों में बदलना

931. **श्री मोलहू प्रसाद : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के 28 जनवरी, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/69-इस्टेब्लिशमेंट (एस०सी०टी०) के अनुसार आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में बदलने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की स्वीकृति लेना अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नियम के अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्रालय की स्वीकृति के लिये कितने मामले उसे भेजे गये और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

सगठन	पद संज्ञा	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	गृह मंत्रालय को निर्दिष्ट किये गये या नहीं
1	2	3	4	5
मंत्रालय (मुख्य)	(i) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपि सेवा के आशुलिपिक ग्रेड II	1	—	हां
	(ii) अवर श्रेणी लिपिक	1	1	हां
नागर विमानन	(iii) महिला गृह प्रबंधक अधिकारी (लेडी हाउस कीपिंग आफिसर)	1	—	हां